न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

प्रकरण संख्या– 11/2017(राजस्व वाद) दायर दिनांक–20.4.2017

फैसल दिनांक– 12-07-2021

अनवान

1–श्री ललीतचन्द्र पिता सोमीलाल पंड्या ब्रा0 निवासी दीवडाबडा
2–श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि ललीतचन्द्र पड्या ब्रा0 निवासी दिवडाबडा
(वादीगण)

बनाम

1– श्री शिवराम उर्फ शिवा पिता भाणजी ताबीयाड मीणा नि0भीलवाडूँगरी दीवडाबडा
2– श्रीमान राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण– श्री शेलेन्द्रजैन
वकील प्रतिवादी– श्री जगदीश बुनकर

वाद अन्तर्गत धारा 183,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत बेदखली एंव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण पति पत्नि है तथा प्रतिवादी नं01 व वादीगण एक ही गांव के रहने वाले होकर अलग अलग फले के है। वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की खेत संवत 2071–74 खाता संख्या 961 नयी 1 पुरानी के सर्वे नम्बर 5607/435 रकबा एक बीघा व सर्वे नम्बर 5608/454 रकबा 1 बीघा कुल खेत नंग दो कुल रकबा 2 बीघा मौजा दीवडाबडा में स्थित है तथा वादीगण उक्त खसरा नम्बरो पर काबिज है। यह कि प्रतिवादी नं01 का उक्त खातेदारी जमीन पर कोई स्वामित्व नही है तथा वादीगण ने कभी भी उक्त जमीन या जमीन के भाग को किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज से अन्तरण नही किया है। यह कि उक्त जमीन प्रतिवादी नं01 के फले के पास में स्थित होने से प्रतिवादी नं01 अवैद्ध तरीके से वादीगण के गैरहाजरी में अर्सा करीब दो ढाई माह पूर्व उक्त जमीन खसरा नम्बर 5607/435के दक्षिणी भाग के मध्य में कब्जा करने के आशय से पत्थर डारल दिया जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1को वादीगण की जमीन पर कब्जा नही करने की बात की तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा एवं इसकी शिकायत वादीगण ने पंचायत में की तो पंचायत द्वारा प्रतिवादी नं01 के विरूद्ध नोटिस जारी कर वादीगण के खातेदारी

जमीन पर डाली गई सामग्री हटा लेने की बात की जिसके पश्चात प्रतिवादी नं01 ने उक्त खसरा नंबर के आंशिक हिस्सें पर कब्जा करने के आशय से मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जिस पर पुनः पंचायत द्धारा नोटिस दिया गया । वादी द्धारा प्रतिवादी नं01 के उक्त कृत्य बाबत यानि कि निर्माण रूकवाने बाबत उपखण्ड कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सागवाडा के आदेश से पटवारी द्धारा वादीगण ,ग्राम पंचायत व अन्य के रूबरू मोका देखा गया तो पाया गया कि प्रतिवादी नं01 के द्धारा वादीगण के उक्त खातेदारी खसरा नम्बर के दक्षिणी भाग के मध्य के आंशिक भाग पर मकान निर्माण करने उतारू है ,खातेदारी जमीन से कब्जा हटाने को कहा जाने पर बचत जमीन पर भी कब्जा कर लेने की धमकी देने लगा व झूठे मुकदमे में वादीगण को फंसाने की धमकी दी गई।

यह कि वादीगण , प्रतिवादी को कब्जे से बेदखल कराने व दौराने दावा यदि मकान निर्माण का कार्य किया जाता है तो ध्वस्त कराने के अधिकारी है।प्रतिवादी का उक्त खाते की आराजी पर कोई अधिकार नही है ।वादी ने वाद के अन्त में प्रतिवादी नं0 1 को जरिये बेदखल आदेश से उसके द्धारा वादीगण के खातेदारी खसरा नं05607/435 के दक्षिण तरफ मध्य भाग पर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त कर मलबा हटाये जाने के आदेश प्रदान करने एंव दोराने दावा किये जा रहे अतिक्रमकण को हटाये जाने के आदेश प्रदान करने , प्रतिवादी को बेदखल किए जाने पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने कि कॉलम नं0 2 में वर्णित खसरा नम्बर 5607/435 पर प्रतिवादी न तो स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार ,अपने किसी एजेण्ट ,मजदूर के साथ प्रवेश नही करे न ही वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल व रूकावट पैदा नही करने ,वाद व्यय प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी द्धारा वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के साथ जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किया गया ।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 2.2.2018 को जवाब प्रस्तुत होने पर दावा एवं जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई –

तनकी संख्या 1:–

आया वादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 5607/435 व 5608/454 रकबा कमशः एक एक बीघा कुल 2 बीघा वादी की खातेदारी स्वामित्व की होने से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने एंव मलबा हटवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?(वादी)

तनकी संख्या 2 –

आया वादीगण की खातेदारी जमीन पर निर्माण कार्य नही करने के कारण किसी प्रकार के निर्माण को वादीगण ध्वस्त कराने के अधिकारी नही है ?(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 3 –

दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई । वकील वादी ने साक्ष्य में वादी स्वयं ललित कुमार के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं दस्तावेज प्रदर्श कराए जाकर साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

दिनांक 3.3.2021 को प्रतिवादी एंव वकील प्रतिवादी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण वादग्रस्त आरजीयात के खातेदार होना तथा प्रतिवादी द्धारा जबरन वादीगण के स्वामित्व व खातेदारी की भूमि में मकान निर्माण के लिए पत्थर डालने से वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने एंव बेदखल कराने के अधिकारी होना बताते हुए बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी संख्या 1:–

आया वादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 5607/435 व 5608/454 रकबा कमशः एक एक बीधा कुल 2 बीघा वादी की खातेदारी स्वामित्व की होने से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने एंव मलबा हटवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादीगण द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 ,मोजा दीवडा बडा खाता संख्या 961में आराजी नमब्र 5607/435 एंव 5608/454 के खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वादी स्वयं ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज है ,प्रतिवादी नं01 का कोई स्वामित्व नही है तथा वादीगण ने कभी भी उक्त आराजीयात या जमीन का कोई भाग किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज से अन्तरण नही किया है । प्रतिवादी के द्धारा वादी के स्वामित्व एंव खाते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से पत्थर डाले गए उस समय वादी ने प्रतिवादी को रोकने की कोशिश की लेकिन वह जान से मारने की धमकी देने लगा एवं आंशिक भाग पर मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने लगा ।वादी द्धारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी द्धारा वादीगण ,ग्राम पंचायत व अन्य के रूबरू मोका देखा गया तो पाया गया कि प्रतिवादी नं01 के द्धारा वादीगण के उक्त खातेदारी खसरा नम्बर के दक्षिणी भाग के मध्य के आंशिक भाग पर मकान निर्माण करने उतारू है ,खातेदारी जमीन से कब्जा हटाने को कहा जाने पर बचत जमीन पर भी कब्जा कर लेने की धमकी देने लगा व झूठे मुकदमे में वादीगण को फंसाने की धमकी दी गई एवं मोके पर ही गाली गलोज कर जान से मारने की धमकी देने लगा । चूँकि वादी खातेदार है एवं प्रतिवादी जबरन वादी के खाते की जमीन पर कब्जा करने की नियत से पत्थर आदि मलबा डालकर मकान निर्माण का कार्य करने से वादी प्रतिवादी को बेदखल कराने का अधिकारी है ।उक्त विवेचन से वादी खातेदार कृषक है एंव प्रतिवादी वादी के खाते एंव स्वामित्व की आराजी के भाग पर जबरन अतिकमण कर रहा है ,वादी प्रतिवादी

को बेदखल कराने ,स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ।अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 –

आया वादीगण की खातेदारी जमीन पर निर्माण कार्य नही करने के कारण किसी प्रकार के निर्माण को वादीगण ध्वस्त कराने के अधिकारी नही है ?(प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज रेर्काड है । प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे कि जवाब में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो ।प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादीगण प्रभावशाली होने से प्रतिवादी के कब्जे की जमीन को आवंटित करा लेना एवं मौके पर वादी का कब्जा नही होना बताया है । प्रतिवादी द्वारा वादी के आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही एंव वादी का कब्जा नही होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है ।अतः वादीगण की खातेदारी जमीन पर प्रतिवादी द्वारा किए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने के वादीगण अधिकारी है ।अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन से तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एवं डिग्री किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खातेदारी खसरा संख्या 5607/435 के दक्षिण तरफ मध्य भाग पर प्रतिवादी द्वारा किया गया अतिक्रमण ध्वस्त कर मलबा हटाया जावे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के खातेदारी खसरा संख्या 5607/435 पर प्रतिवादी न तो स्वयं या अपने किसी रिश्तेदार ,अपने किसी एजेण्ट,मजदूर के साथ प्रवेश नही करे न ही वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल व रूकावट पैदा नही करें ।

डिग्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2021 को खूले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो । नंबर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा